FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

रिमाण्ड 3/4/19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मिट्ठू पुत्र डूले जाति मेहरात नि. जालिया प्रेमपुरा तह. ब्यावर । बनाम मोटम्मद पुत्र रमजान जाति मेहरात नि. जालिया प्रेमपुरा तह. ब्यावर

किस्म मुकदमा 225 राज. काश्तकारी अधि. नम्बर 128 सन् 2019 (ब्यावर)

2019/00128

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सुरजसिंह चौहान श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
3.4.19	यह अपील श्री सूरज सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 27.03.2019, प्रकरण संख्या 09/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट की प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने दिनांक 27.03.2019 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम को यह कहते हुए अस्वीकार किया है कि बिना पक्षकारान की सुनवाई के एक पक्षीय आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अस्थायी निषेधाज्ञा पर समस्त पक्षकारान की तलबी व जवाब प्रार्थना पत्र के पश्चात सुनवाई के आधार पर गुणावगुण पर ही तय किया जाना न्यायोचित हैं। यदि अधीनस्थ न्यायायल के उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का अन्तरिम आदेश दिया जाता हैं तो वो भी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध होगा। चूँकि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलबी अप्रार्थी संख्या 01, 05, 7 की तलबी हेतु विचाराधीन है और अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। इसलिए प्रकरण को हम अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे अप्रार्थी संख्या 01, 05, 07 की तलबी पूर्ण कर, अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर एवं सुनवाई का समुचित अवसर देत हुए प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करे। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी/अपीलांट से शेष अप्रार्थीगण के नोटिस प्राप्त कर तलबी पूर्ण करके, पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रमुख तीन बिन्दूओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रकरण का इस आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	